न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 08/2025 तारीख रजू:– 17.06.2025

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. नेतराम	पिसरान	जाति मीना निवासी मनेमा, तहसील हिण्डौन,
2. बनेसिंह	सरवनलाल	
3. रूपसिंह		जिला करौली राजस्थान ———————— प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदारजी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान ———————— अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट (पत्थरगढ़ी)

उपस्थित :–1. श्री देवीसिंह गुर्जर एडवोकेट प्रार्थीगण

निर्णय

दिंनाक :– 10.11.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 108 रकवा 0.23 है0, 109 रकवा 0.11 है0, 118 रकवा 0.25 है0, कुल किता 3 कुल रकवा 0.59 है0 स्थित ग्राम मनैमा तहसील हिण्डौन वादीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी है जिसकी हिस्सेदारी एवं बटवारे को लेकर खातेदारान् के मध्य आपस में आये दिन विवाद होता रहता है, उक्त आराजीयात का खातेदारान ने आपसी सहमति से मौके पर बाहरमी बटवारा किया हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण अपने हिस्से की खातेदारी को स्वयं ही काश्त करते चले आ रहे है, उक्त आराजीयात को लेकर पड़ौसियों से प्रार्थीगण का आये दिन विवाद होता रहता है, इसलिये भविष्य में उक्त आराजीयात को लेकर डौल–मेढ़ का विवाद उत्पन्न न हो इसलिये प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात स्थित ग्राम मनेमा तहसील हिण्डौन की पत्थरगढ़ी जरिये हल्का पटवारी व गिरदावर कराना चाहते है जिससे खेत के पड़ोसियों से प्रार्थीगण के मधुर सम्बन्ध कायम रह सके एवं प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अपने खातेदारी के खेतों की सुरक्षा भी वैधानिक रूप से कर सके उक्त उद्देश्य की पूर्ति बाबत प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि बांका दिनांक 10.06.2025 को प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदारजी तहसील हिण्डौन से पत्थरगढी बाबत निवेदन किया तो श्रीमानजी ने सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने की हिदायत फरमायी है इसलिये प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र 128 साल.आर एक्ट के प्रावधानों के तहत पेश किया जा रहा हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजीयात खसरा नम्बर 108 रकवा 0.23 है0, 109 रकवा 0.11 है0, 118 रकवा 0. 25 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.59 है0 स्थित ग्राम मनेमा तहसील हिण्डौन की पत्थरगढ़ी जरिये पुलिस प्रशासन थाना हिण्डौन मय पुलिस इमदाद करवाये जाने के आदेश प्रदान फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार हिण्डौन ने पत्र कमांक भू.अ./2025/3512 दिनांक 16.09.2025 से उक्त प्रार्थना पत्र का बिन्दूबार जबाव पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि मुताबिक जमाबंदी संवत 2072–75 खाता सं. 181 ख.नं. 108 रकबा 0.23 है. ख.नं. 109 रकबा 0.11 है. ख.नं. 118 रकबा 0.25 है. कुल किता 3 रकबा 0.59 है. नेतराम पुत्र सरवन लाल हिस्सा 1/3, बने सिंह पुत्र सरवन लाल हिस्सा 1/3, रूपसिंह पुत्र सरवन लाल हिस्सा 1/3 जाति मीना सा. देह रिकॉर्ड दर्ज है ।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि बिंदु संख्या 2 स्वीकार है ।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 ता 8 में दर्ज किया है कि बिंदु संख्या 3 ता 8 क़ानूनी है ।

वकील प्रार्थीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2072–75, नकल नक्शा ट्रेस हाल नम्बरान, नकल फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 09.06.2025 ग्राम मनैमा तहसील हिण्डौन पेश किये हैं।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2072—75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 108 रकवा 0.23 है0, 109 रकवा 0.11 है0, 118 रकवा 0.25 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.59 है0 स्थित ग्राम मनैमा तहसील हिण्डौन की खातेदारी नेतराम पुत्र सरवनलाल हि0 1/3 जाति मीना सा0 ग्राम खातेदार राहिन यूको बैंक शाखा हिण्डौन सिटी, बनैसिंह पुत्र सरवनलाल हि0 1/3 जाति मीना सा0 ग्राम खातेदार राहिन यूको बैंक शाखा हिण्डौन सिटी, रूपसिंह पुत्र सरवनलाल हि0 1/3 जाति मीना सा0 ग्राम खातेदार राहिन यूको बैंक शाखा हिण्डौन सिटी के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 09.06.2025 ग्राम मनैमा तहसील हिण्डौन में अंकित किया है कि आज दिनांक 09.06.2025 को ग्राम मनैमा में नेतराम, बनैसिंह, रूपसिंह पि0 सरवनलाल जाति मीना के आराजी खसरा नम्बर 108 रकवा 0.23 है0, 109 रकवा 0.11 है0, 118 रकवा 0.25 है0 के सीमाज्ञान हेतु मुताविक तहसीलदार महोदय हिण्डौन के आदेश क्रमांक एल.आर./2021/1090 दिनांक 30.05.2025 की पालना में मौके पर पहुँची। मौके पर नेतराम, बनैसिंह, रूपसिंह पि0 सरवनलाल मौके पर उपस्थित मिले। मौके पर फीता व गुनिया से सीमाज्ञान कर चिन्हीकरण किया गया। मौके पर उपस्थित मौतविरानों को फर्द मौका पढकर सुनाया गया व मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों के हस्ताक्षर करवाये गये।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 108 रकवा 0.23 है0, 109 रकवा 0.11 है0, 118 रकवा 0.25 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.59 है0 स्थित ग्राम मनैमा तहसील हिण्डौन के खातेदार काश्तकार है तथा अपनी खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 108 रकवा 0.23 है0, 109 रकवा 0.11 है0, 118 रकवा 0.25 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.59 है0 स्थित ग्राम मनैमा तहसील हिण्डौन का विधिवत रूप से पुनः सीमाज्ञान कराते हुए पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इसलिए उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 108 रकवा 0.23 है0, 109 रकवा 0.11 है0, 118 रकवा 0.25 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.59 है0 स्थित ग्राम मनैमा तहसील हिण्डौन का पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार हिण्डौन को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराते समय यदि तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हिण्डौन को यह अंदेशा हो कि मौंके पर आम शान्ति भंग हो सकती है तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार पुलिस जाप्ता की मांग कर सकता है। ऐसे हालात में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट बाबत् करवाये जाने पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि आप मौके पर पहुॅचकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 108 रकवा 0.23 है0, 109 रकवा 0.11 है0, 118 रकवा 0.25 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.59 है0 स्थित ग्राम मनैमा तहसील हिण्डौन का मौके पर सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी करावें। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही करने से पूर्व तारीख एवं समय निशिचित करते हुए प्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी करें। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराते समय यदि तहसीलदार हिण्डौन को यह अंदेशा हो कि मौंके पर आम शान्ति भंग हो सकती है तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार पुलिस जाप्ता की मांग कर सकता है। प्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की नियमानुसार फीस तहसीलदार हिण्डौन के यहॉ 7 दिवस में जमा करावें। पालना रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डौन एक माह में इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 10.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/11/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली